रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240121 CG-DL-E-09112022-240121

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4908]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2022/कार्तिक 12, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2022/KARTIKA 12, 1944

No. 4908]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5127(अ).—यत: राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी,जो गंगहेरी (इस्माइलाबाद के पास)के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर, कौल, धतरथ, लाखन माजरा, कलानौर, चरखी-दादरी से होते हुए नारनौल बाईपास पर समाप्त होता हैजो कि छ: लेन का 227.02 किमी. लंबा (किमी. 0.000 से किमी. 227.020) हरियाणा राज्य में एक्सेस-नियंत्रित ग्रीन फील्ड हाईवे है।

और यत: इस राजमार्ग के विकास से पहले उपरोक्त स्थानों को जोड़ने/विभिन्न गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के लिए जनता के पास वैकल्पिक मार्ग तथा सड़कें उपलब्ध रही हैं।

और यत: इस राष्ट्रीय राजमार्ग को हाई स्पीड कॉरिडोर (उच्च गति कॉरीडोर) के रूप में विकसित किया गया है और राजपत्र अधिसूचना संख्या का. आ.1522 (ई) दिनांक 6 अप्रैल, 2018 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किमी. / घंटा निर्धारित की गयी है।

और यत: अपेक्षाकृत धीमी गति से चलने वाले वाहन जैसे दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहन जैसे गैर-मोटर चालित वाहन, कृषि योग्य ट्रैक्टर (ट्रेलर के साथ या ट्रेलर के बिना)आदि को अपनी भेद्यता तथा संबद्धगति अंतर के कारण हाई स्पीड वाहनों (उच्च गति वाले वाहनों) से खतरा हो सकता है और यह सड़क सुरक्षा पहलुओं से समझौता करने जैसा होगा।

7313 GI/2022 (1) अत:, अब, "राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण (भूमि तथा यातायात) अधिनियम, 2002" की धारा 35 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग 152-डी के किमी. 0+000 से किमी. 227+020 तक का प्रयोग करने से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया जाता है;

- (i) मोटर साइकिल (स्कूटर तथा अन्य दुपहिया वाहनों सहित);
- (ii) तिपहिया (ई-कार्ट और ई-रिक्शा सहित);
- (iii) गैर-मोटर चालित वाहन;
- (iv) ट्रेलर के साथ या ट्रेलर के बिना ट्रैक्टर
- (v) बहुधुरीय हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन
- (vi) क्वाड़ी साईकल

[फा.सं. एनएचएआई/पीआईयू-भिव/एनएच152डी/11024/टोल/2022/] अलका उपाध्याय, अध्यक्ष एवं राजमार्ग प्रशासक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2022

S.O. 5127(E).— Whereas, the National Highway-152Dstarting from its junction with NH-152 near Gangheri (near Ismailabad), Kaul, Dhatrath, Lakhan Majra, Kalanaur, Charkhi-Dadri and terminating at Narnaul by pass (Km. 0.000 to Km. 227.020) in the State of Haryana is a Six-Lane 227.02 km. long Access-Controlled Greenfield Highway.

And whereas there have been and are alternative routes and roads available to the public for linking the above places/accessing various destination points before the development of this Highway;

And whereas this National Highway has been developed as a high-speed corridor and the maximum speed limits for Motor Vehicles of various descriptions for the National Highway is 100 km./hour as per Gazette Notification S.O.no.1522 (E) dated 6thApril, 2018;

And whereas the movement of high-speed vehicles may pose risk to the safety of certain classes of comparatively slow-moving vehicles e.g., two wheelers, three wheelers and other slow-moving vehicles like non-motorized vehicles, agricultural tractors (with or without trailers) due to their vulnerability and associated speed differentials and compromise the road safety aspects;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under Section 35 of "The Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002", it is hereby ordered that the following classes of vehicles are prohibited from using the National Highway 152-D from Km. 0+000 to Km. 227+020;

- (i) Motor Cycles (including scooters and other wheelers);
- (ii) Three wheelers (including e-Carts and e-Rickshaws);
- (iii) Non- motorized vehicles;
- (iv) Tractors with or without trailers
- (v) Special Multi Axle Hydraulic Trailer Vehicles
- (vi) Quadri-cycles;

[F. No. NHAI/PIU-Bhiw/NH-152D/11024/TOLL/2022/]

ALKA UPADHYAYA, Chairperson and Highway Administrator